

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
15 ⁰² / ₂₂	<p>आज यह पत्रावली पेशा हुई। जहाँ से मूल दावा पत्रावली आज अदम पेशी में खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जहाँ से इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर क्रियारत कर यह पत्रावली भी अदम दावरी अदम पेशी में खारिज की गयी है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त ठिये जाते हैं। पत्रावली केवल समाप्त हो। नम्बर से कम होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न है।</p>	

